025/2777

फर्द अहकाम

रामसहाय वगै0 बनाम मालीराम वगै0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

केस संख्या ...188.../2025 प्रा0पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
22.12.2025	प्रार्थीगण की ओर से यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए जरिये अभिभाषक श्री सतीश कुमार शर्मा ने मूल प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के साथ पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता ली गई । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब कर दिनांक 13/2/26 को पेश हों। प्राथीगण के विद्वान अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जावेगा । प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया । अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नागत भूमियों को खुर्द बुर्द एवं हस्तान्तरित करने पर व नव निर्माण करने पर आमादा है। इसलिए प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें। प्रार्थना पत्र की आकस्मिकता व तत्काल आवश्यकता को देखते हुए आगामी आदेश तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण, हाल आराजी खसरा नं0 1345/0.19, 1346/0.08 1347/0.38, 1568/0.11, 1569/0.33, 1582/0.11, 1583/0.17, 1586/0.30, 1587/0.23, 1590/0.17, 1591/0.23, 1593/0.23, 1594/0.33, 1597/0.04, 1598/0.47, 1672/0.19, 1676/0.024, 1680/0.23, 1681/0.20, 1707/0.10, 1708/0.28, 1819/0.09, 1820/0.08, 1821/0.19, 1822/0.10,1823/0.11, 1824/0.29, 1825/0.11, 1827/0.03, 1828/0.24, 1829/0.24, 1830/0.12, 1831/0.08, 1836/0.23, 1837/0.12, 1839/0.12,1841/0.35, है0 कुल किता 37 रकबा 7.11, वाकै ग्राम जाजेकलां , तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर की भूमि का आगामी तारीख 13/2/26 पेशी तक राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें । उक्त स्थगन राजकीय विभागो के कार्य/न्यायालय आदेश/न्यायालय आदेश द्वारा रास्तो के अमल दरामद/राको रोडा के तहत बैंक कार्यवाही पर लागू नहीं होगा । अप्रार्थीयों की नोटिस की तामिल की सामान्य एवं साधारण प्रकिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेजात व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें । प्रकरण की स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय विवेवाकाधीन शक्तियों के तहत यह अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है, लिहाजा प्रार्थी से यह अपेक्षा की जाती है किवह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एकपक्षीय आदेश की तामिल की ठोस कार्यवाही करे तथा आदेश 39 नियम (3) सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार युक्तियुक्त निर्णय कराने के लिए हर संभव यत्न करें अन्यथा अंतरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करेगा । जिन परिस्थतियों में यह अंतरिकत अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है में परिवर्तन की दशा में संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी । पत्रावली वास्ते तामिल हेतु दिनांक 13/2/26 को पेश हों ।	

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

फर्द अहकाम

रामसहाय बंनाम भालीराम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

केस संख्या 182/2025

क. सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	13/4/26	उभय पक्ष उपस्थित / अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा / PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 6/5/26 को पेश हो। (रीडर)
	6/5/26	उभय पक्ष उपस्थित / अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा / PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 9/5/26 को पेश हो। (रीडर)
	[illegible]	
	[illegible] 9/5/26	मूल वाद में प्रा०पत्र बाबत विड्रो स्वीकार होने से मूल वाद विड्रो किया जाकर खारिज किया जा चुका है। मूल वाद खारिज होने से उक्त प्रा०पत्र T.I. का अब कोई औचित्य नहीं रहा है। अत: पत्रावली खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो व मूल वाद के शामिल हो। उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा, जयपुर (राज.)